Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आज आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 पर तर्क श्रवण किये गयें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है। कि, आवेदिका के द्वारा आवेदन इस आशय का पेश किया गयाहै। कि प्रकरण क्र0–17ए/2019 नाम पक्षकार द्रोपतीबाई बनाम राखी–अन्य निर्णय दिनांक–14/09/22 को निर्णय किया जा चुका है। जो प्रकरण में आवेदिका के द्वारा पेश दस्तावेज वैनामा दिनांक–06/06/2016 एवं साथ में संलग्न शपथ पत्र प्र0पी0–01 एवं प्र0पी0–02 सहमति शपथ पत्र एवं प्र0पी0–04,05,06 एवं 07 नगर पालिका रसीदे एवं प्र0पी0–09 रसीद पावती एवं कार्यालय नगर परिषद पथरिया जिला दमोह का प्रमाण पत्र प्र0–पी0–03 हैं। जो सत्यापित प्रति पेश कर मूल दस्तावेज प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णों के द्वारा आवेदिका की पहिचान की गयी। एवं आवेदिका के द्वारा अंडर टेंकिंग का आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया कि, जब भी न्यायालय आदेश करेगी उक्त मूल दस्तावेज न्यायालय में पेश कर देगें।

आवेदिका के द्वारा आदेश पत्रिका में प्राप्ति अभिस्वीकृति ली जावें।

प्रकरण का परिणाम विविध पंजी में दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावें।

(राजेन्द्र वर्मन) 12/10/22
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
पथरिया, जिला–दमोह (म.प्र.)

मैं आवेदिका द्रोपतीबाई को पहचानता हूँ

नोट:- मैंने आज न्यायालय से मूल दस्तावेज प्र.पी. 1,2, 3,4,5,6, 7 एवं 9 प्राप्त किये हैं।

द्रोपती

12/10/2022

II–15
C.J. (E

ORDER SHEET

Filing N. MJC 50/2022
CNR MP34060005572022
MJC 21/2022

THE COURT

(राजेन्द्र बर्मन)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
पथरिया, जिला–दमोह (म.प्र.)

एम.जे.सी. सं. 21/22
द्रोपती बनाम राखी व अन्य Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
एम0जे0सी0क0–21/2022. 12/10/22	आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णो के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 का पेश कर निवेदन किया गया कि, उनके द्वारा मूल अभिलेख व्यवहार वादक0–17ए/2019 द्रोपती बनाम राखी–अन्य निर्णय दिनांक–14/09/22 में संलग्न उस्तावेज वापिसी किये जाने वावत् पेश किया गया। अतः उक्त आवेदिका के आवेदन पत्र को विविध केन्द्रीय पंजी में दर्ज किया जावें। प्रकरण आवेदिका को मूल दस्तावेज प्रदाय किये जाने/अंडरटेकिंग का प्रमाण पेश किये जाने हेतु दिनांक–12/10/22 को पेश हो। (signature) 12/10/22 (राजेन्द्र बर्मन) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पथरिया, जिला–दमोह (म.प्र.)	(signature)
	पुनश्च, एम0जे0सी0क0–21/2022. 12/10/2022 आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णों उपस्थित। प्रकरण आवेदिका को मूल दस्तावेज प्रदाय किये जाने/अंडर टेकिंग का प्रमाण पत्र पेश किये जाने हेतु नियत है। इसी स्तर पर आवेदिका की ओर से अंडर टेकिंग शपथ पत्र पेश किया गया।	